राजस्थान कृषि उत्पाद विपणन (संशोधन एवं वैधता प्रावधान) अधिनियम, 1965

[1965 का अधिनियम सं. 16]

[28 अक्टूबर, 1965 के दिन राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हुआ]

1. संक्षिप्त शीर्षक—यह अधिनियम राजस्थान कृषि उत्पाद विपणन (संशोधन एवं वैधता प्रावधान) अधिनियम कहलायेगा।

2. राजस्थान अधिनियम 1961 का 38 की धारा 4 में संशोधन—राजस्थान उत्पाद विपणन अधिनियम, 1961 (राजस्थान अधिनियम 1961 का 38), (एतद्पश्चात् प्रमुख अधिनियम के नाम से सन्दर्भित किया जायेगा) की धारा 4 की उप-धारा (2) के परन्तुक में अभिव्यक्ति 'जैसा विहित किया जाता है' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''राजकीय राजपत्र में साधारण या विशेष आदेश द्वारा जैसा विनिर्दिष्ट किया जाता है'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे और हमेशा किये गये समझे जावेंगे।

3. राजस्थान अधिनियम 1961 का 38 में नई धारा का प्रतिस्थापन—प्रमुख अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर निम्नलिखित नई धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''**17. विपणन शुल्क लगाने की शक्ति**—विपणन समिति, नियमों के प्रावधानों एवं अधिकतम जैसा विहित किया जाने के अध्यधीन, लाइसेन्सी द्वारा बाजार में क्रय एवं विक्रय की जाने वाली कृषि उत्पाद पर, विपणन शुल्क लगा सकेगी।''

4. राजस्थान अधिनियम 1961 का 38 की धारा 20 में संशोधन—प्रमुख अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) में शब्द 'उपकर' विलोपित किया गया।

5. राजस्थान अधिनियम 1961 का 38 की धारा 36 में संशोधन—प्रमुख अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (2) में—

(i) खण्ड (ङ) में, अभिव्यक्ति ''उपकर'' के स्थान पर शब्द ''विपणन शुल्क'' प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(ii) खण्ड (ध) में, अभिव्यक्ति ''उप-कर या शुल्क'' के स्थान पर, अभिव्यक्ति ''विपणन शुल्क या अन्य शुल्क'' प्रतिस्थापित की जाएगी।

6. राजस्थान अधिनियम 1961 का 38 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन—प्रमुख अधिनियम की धारा 37 के स्थान पर निम्नलिखित नई धारा प्रतिस्थापित की जावे, अर्थात्—

''**37. उप-विधि**—(1) धारा 39 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अध्यधीन, विपणन समिति, उसके प्रबन्धाधीन विपणन क्षेत्रों में व्यवसाय एवं शर्तों को नियमन करने के लिए उप-विधि बनाएगी।

(2) इस धारा के अन्तर्गत कोई उप-विधि में यह उपबन्धित किया जा सकता है कि उसके उल्लंघन के फलस्वरूप दोष-सिद्धि होने पर उसे अर्थ-दण्ड, जो पचास रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, की शास्ति दी जाएगी।

(3) इस धारा के अन्तर्गत बनाई गई कोई भी उप-विधि किसी प्रकार का कोई प्रभाव तब तक नहीं डालेगी जब तक कि निदेशक द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से शक्ति प्रदान किए जाने वाले अधिकारी द्वारा उसे स्वीकृत नहीं किया गया हो।

7. विपणन समिति की उप-विधियों की वैधता तथा उनके अन्तर्गत की गई कार्यवाही तथा किये गये कार्य—(1) प्रमुख अधिनियम की धारा 37 या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय या

Scanned with CamScanner

अधिकरण के निर्णय, डिग्री या आदेश या किसी दस्तावेज या प्रलेख में कुछ भी अन्तर्विष्ट होने तथा किसी अशुद्धि, लोप, कमी या अधिकारिता की शक्ति या अधिकारिता के अभाव में 26 अगस्त 1965 के पूर्व एक विपणन समिति द्वारा बनाई गई कोई उप-विधि, को केवल इस आधार पर कि निदेशक या इस सम्बन्ध में विशेष रूप से सशक्त किये गये अन्य अधिकारी द्वारा बनाई गई मानी जायेगी, जैसा कि मुख्य अधिनियम की धारा 37 में अपेक्षित किये अनुसार, नहीं प्राप्त की गई थी, तथा तद्नुसार—

(क) प्रत्येक ऐसी उप-विधि प्रमुख अधिनियम की धारा 37 में उल्लेखित प्राधिकारी द्वारा बनाई और सदा बनाई गई मानी जायेगी और उनकी पूर्ण रूप से वही शक्ति एवं प्रभाव होगा जैसा कि प्रमुख अधिनियम की धारा 37 में उल्लेखित प्राधिकारी द्वारा पूर्व में स्वीकृत की गई का है।

(ख) एक विपणन समिति या उसकी मण्डी या मण्डी क्षेत्र द्वारा ऐसी किसी उप-विधि,जैस ऊपर कहा गया है के अन्तर्गत समस्त शुल्क या उप-कर आरोपित, एकत्रित हुए या आरोपित या एकत्रित किये गये माने जायेंगे तथा वे सदा विधि अनुसार आरोपित, एकत्रित किये गये माने जायेंगे तथा वे प्रत्यर्पण (refund) योग्य नहीं होंगे।

(ग) प्रत्येक ऐसी उपविधि, जैसा कि ऊपर कहा गया है के अन्तर्गत एक विपणन समिति द्वारा स्वीकृत, अस्वीकृत, निरस्त, नवीनीकृत या निलम्बित समस्त लाइसेन्स और ऐसे लाइसेन्स हेतु आरोपित तथा एकत्रित समस्त शुल्क विधि अनुसार स्वीकृत, अस्वीकृत, निरस्त, नवीनीकृत, निलम्बित या आरोपित एवं एकत्रित जैसा भी हो, किये गये माने जायेंगे तथा ऐसा कोई भी शुल्क प्रत्यर्पण (refund) योग्य नहीं होगा।

(घ) एक विपणन समिति द्वारा किसी ऐसी उपविधि के अन्तर्गत किये गये समस्त कार्य या कार्यवाही, की गई नियुक्तियां और प्रयोग की गई शक्तियां विधि अनुसार किये, बनाये या प्रयोग किये गये या किये गये माने जायेंगे।

(ङ) किसी ऐसी उपविधि के अन्तर्गत कोई ऐसा दावा या अन्य कार्यवाही जो आरोपित ऐसे उपकर या आरोपित एवं एकत्रित शुल्क का प्रत्यर्पण हेतु किसी न्यायालय या अधिकरण में सम्प्रोषित होने या जारी रखने योग्य नहीं होगी।

(च) कोई न्यायालय या अधिकरण ऐसी उपविधि को गैर कानूनी घोषित करने या उसके अन्तर्गत आरोपित और एकत्रित किये गये उपकर या शुल्क की डिग्री क्रियान्वित करने या उनका प्रत्यर्पण करने के निर्देश नहीं देगा।

(छ) 26 अगस्त, 1965 के दिन ऐसी उपविधि के अन्तर्गत आरोपित या निर्धारित कोई उपकर या शुल्क की वसूली ऐसी उपविधि में उपबन्धित विधि से की जा सकेगी।

(ज) प्रमुख अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित समस्त विपणन समितियों को ऐसी उपविधि के अन्तर्गत लाइसेन्स जारी करने या उनका नवीनीकरण करने तथा शुल्क वसूल करने या इनकी अधिकृति देने हेतु सक्षम होना और सदा सक्षम माना जायेगा।

(2) उपधारा (1) में कुछ भी अन्तर्विष्ट होने पर भी, राजस्थान कृषि उत्पाद विपणन (संशोधन एवं वैधता प्रावधान) अधिनियम, 1965 के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा किये गये अपराध के प्रति वह दोष-सिद्धि हेतु उत्तरदायी नहीं होगा, यदि ऐसा कार्य, इस धारा के प्रावधानों के सिवाय, प्रमुख अधिनियम के प्रारम्भ के अन्तर्गत अपराध नहीं था।

8. निरसन एवं चुनाव:

(1) राजस्थान कृषि उत्पाद विपणन (संशोधन एवं वैधता प्रावधान) अध्यादेश, 1965 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) इस निरसन में कुछ भी होते हुए, कथित अध्यादेश के अन्तर्गत किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्यवाही इस अधिनियम के अन्तर्गत की गई मानी जायेगी मानो यह अधिनियम दि. 26 अगस्त, 1965 के दिन प्रारम्भ हुआ था।

Scanned with CamScanner